पोप फ्रांसिस अस्पताल में भर्ती

वेटिकन सिटी, 4 जुलाई (एपी)।

वेटिकन सिटी ने कहा कि पोप फ्रांसिस को बड़ी आंत में दिक्कत के चलते पहले से तय सर्जरी के लिए रोम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

रविवार दोपहर संक्षिप्त बयान में इसकी जानकारी दी गई लेकिन यह नहीं बताया गया कि सर्जरी कब होगी। हालांकि यह कहा गया है कि सर्जरी के बाद इस बारे में बताया जाएगा। इससे तीन घंटे पहले फ्रांसिस ने रविवार की परंपरा के तहत सेंट पीटर्स स्क्वायर पर जनता का अभिवादन किया और उनसे कहा कि वह सितंबर में हंगरी और स्लोवाकिया जाएंगे। एक सप्ताह पहले फ्रांसिस (84) ने रोम की जेमिली पॉलिक्लीनिक में सर्जरी का संकेत देते हुए परंपरा के तहत लोगों से पोप के लिए विशेष प्रार्थना करने को कहा था।

फिलीपीन का सैन्य विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 45 लोगों की मौत

मनीला, 4 जुलाई (एपी)।

फिलीपीन के दक्षिणी प्रांत में सैन्यकर्मियों को ले जाते समय वायुसेना के विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण 42 सैनिकों और तीन आम नागरिकों की मौत हो गई। इस विमान में सवार सैनिकों को इस्लामी आतंकवादियों से लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यह देश की वायु सेना के इतिहास में सबसे भीषण हादसा है। कम से कम 49 सैनिकों को बचा लिया गया है और वे जख्मी हैं।

सैन्य अधिकारियों ने बताया कि यह विमान सुलु प्रांत में जोलो हवाई अड्डे के बाहर दोपहर को नारियल के खेत में हादसे का शिकार हुआ। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने और उसमें आग लगने से पहले कुछ सैनिकों को विमान से कूदते देखा गया। जमीन पर सात लोग विमान की चपेट में आए जिनमें से तीन की मौत हो गई।

विमान में तीन पायलट और चालक दल के पांच सदस्यों समेत 96 लोग सवार थे। विमान में सवार शेष लोग सैन्यकर्मी थे। जीवित बचे लोगों में पायलट भी शामिल हैं, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे का शिकार हुआ लॉकहीड सी-130 हरक्यूलिस फिलीपीन को सैन्य सहायता के रूप में इस साल सौंपे गए अमेरिकी वायु सेना के दो विमानों में से एक था।

अधिकारियों ने बताया कि घायलों को सुलु या नजदीकी जोमबोआंगा शहर के अस्पतालों में ले जाया गया और सैन्य बल शेष सैनिकों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। सेना द्वारा जारी की गईं शुरुआती तस्वीरों में मालवाहक विमान का पीछे का हिस्सा दिख रहा है। विमान के अन्य हिस्से या तो जल गए या टुकड़े टुकड़े हो कर आस- पास बिखर गए। दुर्घटनास्थल से धुआं उठता दिखा और बचावकर्मी वहां स्ट्रेचर के साथ आते-जाते दिखे।

विमान दक्षिणी कागायन डी ओरो शहर से सैन्य बलों को तैनाती के लिए सुलु ले जा रहा था। सैन्य बल सुलु के मुसलिम बहुल प्रांत में अबु सैय्याफ आतंकवादियों के खिलाफ दशकों से लड़ रहे हैं। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण तत्काल स्पष्ट नहीं हो पाया है।

क्षेत्रीय सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कोलेटो वानलुआन ने बताया कि इस बात की संभावना नहीं है कि विमान पर शत्रुओं ने हमला किया हो। उन्होंने उन प्रत्यक्षदर्शियों का हवाला दिया, जिन्होंने बताया कि विमान संभवतः रनवे से आगे निकल गया। पायलट ने उसे फिर से नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

जोलो से कई बार सैन्य विमान उड़ा चुके वायु सेना के अधिकारी ने बताया कि जोलो रनवे देश के अन्य रनवे की तुलना में छोटा है। यदि वहां एक निश्चित स्थान पर विमान नहीं उतर पाता है तो पायलट के लिए उसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है।

उष्णकटिबंधीय दबाव बनने के कारण फिलीपीन के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो रही है, लेकिन तसवीरों में दिखा है कि सुलु क्षेत्र का मौसम ठीक था। सुलु के मुख्य शहर जोलो में हवाईअड्डा पर्वतीय क्षेत्र से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है। इस क्षेत्र में सैन्य बल अबु सैय्याफ के खिलाफ लड़ रहे हैं। कुछ आतंकवादी इस्लामिक स्टेट संगठन से जुड़े हैं। अमेरिका और फिलीपीन ने बमबारी, फिरौती के लिए अपहरण करने और सिर कलम करने के मामलों के कारण अबु सैय्याफ को काली सूची में डाल दिया है। हालांकि, अबु सैय्याफ समूह सैन्य कार्रवाई के कारण पिछले कुछ साल में कमजोर हुआ है, लेकिन यह अब भी खतरा बना हुआ है।

हादसा फिलीपीन के सुलु प्रांत में रविवार को दुर्घटनाग्रस्त सैन्य विमान का मलबा।

शिवालिक स्माल फाइनांस बैंक लि.

पंजीकृत कार्यालयः 501, सैल्कॉन ऑरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली-110025
CIN: U65900DL2020PLC366027

परिशिष्ट IV [देखें नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (''सरफैसी अधिनियम'') के अंतर्गत 501, सैल्कॉन ऑरम जसोला डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, नई दिल्ली-110025, बैंकिंग विनियमन 1949 के आशय के अंतर्गत बैंकिंग कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 501, सैल्कॉन ऑरम जसोला डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, नई दिल्ली-110025 में है तथा प्रधान कार्यालय छठा तल, टावर-3, इंडिया ग्लाईकोल्स बिल्डिंग, प्लॉट नं. 2बी, सेक्टर 126, नोएडा-201304 में है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर ऋणधारकों/पार्टियों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

निम्न ऋणधारक/गारंटर/मार्टगैजर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा ऋणधारक/गारंटर/मार्टगैजर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारंटरों/मार्टगैजरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज तथा स्थानापन्न ब्याज, अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ बकाया राशि के लिये शिवालिक स्मॉल फाइनांस बैंक लि. के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारकों/गारन्टरों/मार्टगैजरों का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि एवं राशि एवं कब्जा सूचना तिथि एवं राशि
1. राजू (ऋणधारक) निवासीः एच. नं. 2365, अथरपुरा, रेलवे रोड, हापुर-245101 2. श्री गुरुचरण सिंह (मार्टगैजर) निवासीः एच. नं. 2365, अथरपुरा रेलवे रोड, हापुर-245101 3. श्री शीशपाल सिंह (गारंटर) निवासीः ग्राम अनवरपुर, चामद मोहल्ला के निकट, हापुर 245304, 4. श्री गजेन्द्र सिंह (गारंटर)	2365, अतरपुरा, गली नं. 3, रेलवे रोड, हापुर में स्थित स्वयं के कब्जे में आवासीय सम्पत्ति, एरिया माप 83.77 वर्ग याईस का इक्विटैबल मार्टगैज, 20.2.1960 को क्रम सं. 635 में उप-रजिस्ट्रार-हापुर के कार्यालय में पंजीकृत, मेजरमेन्ट सम्पत्ति, स्वामीः शीशपाल सिंह, अचल सम्पत्ति/सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः भगवाना कुम्हार का मकान, पश्चिमः मकान का दरवाजा, उत्तरः कल्लो का मकान, दक्षिणः गली	मांग सूचना तिथिः 19.4.2021 कब्जा सूचना तिथिः 01.07.2021 बकाया राशिः रु. 905411/- (रु. नौ लाख पांच हजार चार सौ ग्यारह मात्र) खाता सं. 102541000305 के लिये
1. मोह. इमरान सैफी, पुत्र मोह. वाहिद खान (ऋणधारक/मार्टगैजर) निवासीः एच. नं. 107/5, गली नं. 5, डीके फैक्टरी के निकट, श्याम नगर, पिल्लोखरी रोड, मेरठ-250002, 2. श्रीमती मिस्बा, पत्नी इमरान सैफी (सह-ऋणधारक) निवासीः एच. नं. 274, गली नं. 4, पाकीजा होटल के निकट, श्याम नगर, पिल्लोखरी रोड, मेरठ-250002, 3. मोह. अली हसन, पुत्र सादिक अहमद (गारंटर) निवासीः एच. नं. 879/276 गली नं. 4, पाकीजा होटल के निकट, श्याम नगर, पिल्लोखरी रोड, मेरठ-250002	सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैजः उप-रजिस्ट्रार मेरठ के कार्यालय में बही नं. 1, जिल्द नं. 9376, पेज नं. 61/98, एस. नं. 9048 में 18.9.2018 को पंजीकृत प्लॉट नं. 24/2, खसरा नं. 2791 एवं 2796 का भाग, तहसील एवं जिला मेरठ में स्थित नान सेल्फ ऑक्युपायड रेजीडेन्शियल सम्पत्ति एरिया माप 87.8 वर्ग मी. का इक्विटैबल मार्टगैज। मेजरमेन्ट सम्पत्ति, स्वामीः मोह. इमरान सैफी, अचल सम्पत्ति/परिसम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः 63 फीट प्लॉट नं. 25/1, पश्चिमः 63 फीट प्लॉट नं. 24/1, उत्तरः 40 फीट रोड, दक्षिणः 15 फीट प्लॉट नं. 31	मांग सूचना तिथिः 19.4.2021 कब्जा सूचना तिथिः 01.07.2021 बकाया राशिः रु. 17,27,048/- (रुपये सत्तरह लाख सत्ताईस हजार अड़तालिस मात्र) खाता सं. 100841007636 तथा 100841510044 के लिये

तिथिः 5.7.2021 स्थानः दिल्ली/एनसीआर — शिवालिक स्मॉल फाइनांस बैंक लि. के लिये प्राधिकृत अधिकारी

सईद के घर के बाहर विस्फोट के पीछे भारतीय नागरिक : पाक

इस्लामाबाद, 4 जुलाई (भाषा)।

पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) मुईद यूसुफ ने रविवार को आरोप लगाया कि 2008 के मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड व प्रतिबंधित जमात-उद-दावा (जेयूडी) के सरगना हाफिज सईद के घर के बाहर शक्तिशाली बम विस्फोट के पीछे एक भारतीय नागरिक का हाथ था। यह विस्फोट पिछले महीने हुआ था।

पंजाब पुलिस प्रमुख और सूचना मंत्री फवाद चौधरी के साथ यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एनएसए यूसुफ ने दावा किया कि हमले का मास्टरमाइंड एक भारतीय नागरिक है जिसका एक खुफिया एजंसी से संबंध है। उन्होंने कहा, 'इन आतंकवादियों के पास से बरामद किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, फोरेंसिक विश्लेषण के जरिए हमने मुख्य मास्टरमाइंड और इस आतंकवादी हमले के संचालकों की पहचान की है।'

अफगानिस्तान के कई जिलों पर तालिबान का नियंत्रण

मोर्चा छोड़ कर ताजिकिस्तान भागे अफगान सैनिक

- 300 से ज्यादा अफगान सैनिकों ने स्थानीय समयानुसार शनिवार शाम साढ़े छह बजे सीमा पार की। बयान के अनुसार, मानवता और अच्छे पड़ोसी होने के सिद्धांत से प्रेरित होकर ताजिक अधिकारियों ने पीछे हट रहे अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज को ताजिकिस्तान की सीमा में प्रवेश करने दिया।

काबुल, 4 जुलाई (एपी)।

उत्तरी अफगानिस्तान में अफगान सैनिकों के मोर्चा छोड़कर भागने के बाद वहां तालिबान की गतिविधियां तेज हो गई हैं और रातों-रात उसने कई जिलों पर अपना नियंत्रण कर लिया है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि सैकड़ों की संख्या में अफगान सैनिक सीमा पार करके ताजिकिस्तान में चले गए हैं।

ताजिकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्टेट कमेटी द्वारा जारी बयान के अनुसार तालिबान लड़ाकों के सीमा की ओर बढ़ने के बीच 300 से ज्यादा अफगान सैनिकों ने अफगानिस्तान के बड़ाखशान प्रांत से देश की सीमा में प्रवेश किया। अफगान सैनिकों ने स्थानीय समयानुसार शनिवार शाम करीब साढ़े छह बजे सीमा पार की। बयान के अनुसार, 'मानवता और अच्छे पड़ोसी होने के सिद्धांत से प्रेरित होकर' ताजिक अधिकारियों ने पीछे हट रहे अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज को ताजिकिस्तान की सीमा में प्रवेश करने दिया।

अप्रैल के मध्य में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अफगानिस्तान में चल रहे 'अंतहीन' युद्ध को समाप्त करने की घोषणा किए जाने के बाद से ही तालिबान ने पूरे देश में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। चरमपंथी समूह को सबसे ज्यादा लाभ देश के उत्तरी भाग में हुआ है, जो अमेरिका समर्थित उन लड़ाकों का गढ़ था जिसने 2001 में उसे (तालिबान को) हराने में मदद की थी। अफगानिस्तान के 421 जिलों और जिला केंद्रों में से एक तिहाई पर फिलहाल तालिबान का नियंत्रण है।

कोरोना से जान गंवाने वाले अमेरिकियों में से 99 फीसद को नहीं लगा था टीका : फाउची

वाशिंगटन, 4 जुलाई। अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ ने कहा है कि देश में हाल में कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों में से 99.2 प्रतिशत को टीका नहीं लगा था। डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा 'यह बहुत ही दुखद है कि इनमें से अधिकतर की जान बच सकती थी।' उन्होंने एनबीसी के मीट द प्रेस कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका बहुत भाग्यशाली है कि उसके पास देश में सभी के लिए पर्याप्त टीके हैं। (**एपी**)

चिड़ियाघर में बाघ और भालू को कोरोनारोधी टीके लगे

ओकलैंड (अमेरिका), 4 जुलाई (एपी)।

अमेरिका में पशुओं की प्रजातियों को कोरोना विषाणु से सुरक्षा प्रदान करने के राष्ट्रीय अभियान के तहत सैन फ्रांसिस्को बे एरिया के चिड़ियाघर में बाघ, भालू और गंधबिलाव (नेवले की जाति का एक जीव) को प्रायोगिक तौर पर कोरोनारोधी टीके लगाए गए।

'सैन फ्रांसिस्को क्रोनिकल' की शनिवार की खबर के अनुसार ओकलैंड चिड़ियाघर में बाघ जिजर और मॉली पहले दो पशु हैं जिन्हें इस सप्ताह कोरोना का टीका लगाया गया। टीके की ये खुराक न्यूजर्सी में पशु दवा कंपनी जोएटिस ने विकसित और दान की है। चिड़ियाघर में पशु सेवा की उपाध्यक्ष एलेक्स हरमन ने बताया कि किसी भी पशु को कोरोना नहीं हुआ था लेकिन वे एहतियात बरतना चाहते थे। बाघ, काले और भूरे भालू, पहाड़ी शेर और गंध बिलाव को टीके की पहली खुराक दी गई है। इसके बाद स्तनपायी जानवरों और सुअरों को टीका दिया जाएगा।

हरमन ने कहा कि चिड़ियाघर में शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए अवरोधकों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कर्मी संवेदनशील प्रजातियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक परिधान पहनते हैं। उन्होंने कहा, 'हमें खुशी और राहत है कि पशुओं को टीका लग जाने से अब हम उनकी बेहतर सुरक्षा कर पाएंगे।' जोएटिस ने 27 राज्यों में 70 से अधिक चिड़ियाघरों के पशुओं के लिए 11,000 से अधिक टीके की खुराक दान की है। सैन डिएगो चिड़ियाघर ने जनवरी में पशुओं के टीकाकरण की शुरुआत की थी।

बड़े वानरों के डीएनए मानव के डीएनए से 98 फीसद मेल खाते हैं। गोरिल्ला, बाघ, शेर, पालतू बिल्ली और कुत्तों में कोरोना विषाणु संक्रमण की पुष्टि भी हुई है।

NAGPUR HOUSING AND AREA DEVELOPMENT BOARD, NAGPUR (REGIONAL UNIT OF MHADA)

म्हाडा MHADA

E-TENDER NOTICE FOR THE YEAR 2021-2022

Digitally signed & unconditional online tenders in form **B-2** Agreement are invited by the Executive Engineer, Division-II, Nagpur Housing & Area Development Board, Nagpur, Gruha Nirman Bhavan, Civil Lines, Nagpur - 440001, Phone No. 0712-2565692 & Fax No. 0712-2564939, Email ID www.mhadangp_01@hotmail.com on behalf of Deputy Chief Engineer / Nagpur Board, Nagpur. It is not necessary for bidder to registered with state PWD/CPWD/MES/MHADA/CIDCO or any other Govt. Agency / Organization undertaking. The age of organization with experience in similar work shall not be less than 10 years. Also the eligibility criteria is as per PWD Govt. Resolution No. CAT/2017/PK08/Bldg-2, Dt. 27/09/2018. http://mahatenders.gov.in. The Certificates of Satisfactory Performance **should be uploaded for online registration on website.**

Name of Work	: **Construction of Proposed Administrative Office Building For Nagpur Housing and Area Development Board At Kh. No. 12/1, Mouza Gadga, Civil Lines, Nagpur.**
Estimate Cost	: **Rs. 48,25,70,097/-**
EMD @ 0.5%	: **Rs. 24,12,850/-**
Period of Completion of work	: **30 Months (Including Monsoon).**
Cost of Documents	: **Rs. 3,360/- (Including GST).**
Document sale Start to End	: **05/07/2021 @ 15.00 Hrs. to 30/07/2021 @ 17.00 Hrs.**
Pre-bid Meeting	: **22/07/2021 @ 15.00 Hrs.**
Bid sub. Start to end	: **05/07/2021 @ 15.00 Hrs. to 30/07/2021 @ 17.00 Hrs.**
Technical bid Opening	: **03/08/2021 @ 15.00 Hrs.**
Opening Authority	: **Deputy Chief Engineer / Nagpur Board.**

The detail tender notice and all other details are available on portal for e-tender. Contractor is required to get enrolled on the portal https://mahatenders.gov.in and get empanelled in relevant sub portal. The registered contractor has to obtain the Digital Certificate.

* The tender document will be published online on the websites: **https://mahatenders.gov.in** on dt. **05/07/2021**

Executive Engineer - II
Nagpur Housing and Area Development Board, Nagpur

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. विदित)
CIN: L65110TH2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालयः केआरएम टॉवर्स, 8वाँ तल, हैरिंग्टन रोड, चेतपेट, चेन्नई-600031
टेली.: +91 44 4564 4000, फैक्सः +91 44 4564 4022

IDFC FIRST Bank

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित ऋणधारकों तथा सह-ऋणधारकों ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमि. में समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.) से नीचे वर्णित प्रतिभूति ऋण प्राप्त की थी। नीचे वर्णित ऋणधारकों का ऋण संबंधित सम्पत्तियों की गिरवी द्वारा प्रतिभूत है। चूंकि वे संबंधित ऋण अनुबंधों के नियमों एवं शर्तों का पालन करने में विफल रहे तथा उनका ऋण अनियमित हो गया है, अतः भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार उनकी ऋण को एनपीए वर्गीकृत किया गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमि. में समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमि.) को उनके द्वारा देय राशि संबंधित सूचनाओं के अनुसार वर्णित है जिसका विशेष रूप से विवरण उक्त राशि पर आगे के लागू होने वाले ब्याज जिसकी वसूली संबंधित तिथियों से लागू अनुबंधित दर पर की जायेगी, के साथ नीचे तालिका में वर्णित है।

क्रम सं.	ऋण खाता सं.	ऋण का प्रकार	ऋणधारकों तथा सह-ऋणधारकों का नाम	धारा 13(2) सूचना तिथि	धारा 13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1.	26691636 26691053	गृह ऋण	1. करण सिंह 2. पतासो देवी	19.6.2021	आईएनआर 2124847.65/-	ख.नं. 119, खुदनपुरी, अलवर में स्थित अचल सम्पत्ति प्लॉट नं.- 216/1, माप 127.41 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. 210/1, पश्चिमः 30 फीट चौड़ा रोड, उत्तरः प्लॉट नं. 217/1, दक्षिणः प्लॉट नं. 215/1

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर उसकी संबंधित तिथियों से उस पर अनुबंधित दर पर ब्याज तथा अन्य लागतों, चार्जेज आदि के साथ ऊपर तालिका में दर्शाई गई विवरणों के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड) की बकाया राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर अधोहस्ताक्षरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड) की बकाया राशि की वसूली के लिये यहाँ ऊपर वर्णित सम्पत्तियों के विरुद्ध सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई शुरु करेंगे। पुनः आपको बिक्री/पट्टा अथवा अन्य रुप से उक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को अंतरित करने से उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत निषिद्ध किया जाता है।

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. विदित)

तिथिः 5 जुलाई, 2021
स्थानः अलवर

ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक उद्घोषणा
पेट्रॉन इंजिनियरिंग कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

(भारतीय दिवाला एवं संशोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 32 एवं 33 के अंतर्गत) एतद्द्वारा आम जनता को परिसमापन के अधीन पेट्रॉन इंजिनियरिंग कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ("कॉर्पोरेट देनदार") के परिसमापक द्वारा, चालू व्यवसाय के आधार पर, कॉर्पोरेट देनदार के समग्र रूप से अधिग्रहण के लिए निम्न तालिका में वर्णित विवरण के अनुसार आयोजित ई-नीलामी प्रक्रिया के संबंध में इच्छुक बोलीदाताओं से बोलियां आमंत्रित करने के लिए व्यापक तौर पर सूचित किया जाता है। ई-नीलामी प्रक्रिया ऑनलाइन ई-नीलामी एजेंसी, ई-प्रोक्योरमेंट टैक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा वेबसाइट https://ncltauction.auctiontiger.net के माध्यम से शुक्रवार, 27.08.2021 को या परिसमापक द्वारा बोलीदाताओं को सूचित की जाने वाली किसी अन्य तारीख को संपन्न की जाएगी।

संगत विवरण

1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	**पेट्रॉन इंजिनियरिंग कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड**
2.	कॉर्पोरेट देनदार के गठन की तिथि	19.07.1976
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट देनदार गठित/पंजीकृत है	कंपनी पंजीयक, मुम्बई (महाराष्ट्र)
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या	L45202MH1976PLC019135
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय का पता	स्वास्तिक चैम्बर्स, छठा तल, सियॉन ट्राम्बे रोड, चेम्बूर, मुम्बई-400071
6.	कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन प्रारंभ तिथि	05.02.2020 (माननीय न्यायिक प्राधिकरण आदेश दिनांक 23.01.2020 के मार्फत, आदेश की प्रति 05.02.2020 को माननीय एनसीएलटी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई थी)
7.	परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता एवं पंजीकरण संख्या	सीएस विनीत के चौधरी IBBI/IPA-002/IP-N00103/2017-18/10246 प्रोसेस विनिर्दिष्ट ई-मेल आईडी :liquidatorPECL@vkcindia.com आईबीबीआई के साथ पंजीकृत ई-मेल आईडी : ip.vineetchaudhary@gmail.com डी-38, एलजीएफ (एल/एस), साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-2, नई दिल्ली-110049
8.	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	नीलामी प्रारंभ तिथि एवं समय : 27.08.2021 को प्रातः 11.00 बजे नीलामी समाप्त होने की तिथि एवं समयः 27.08.2021 को सायं 5.00 बजे
9.	नीलामी प्लेटफार्म विवरण	https://ncltauction.auctiontiger.net
10.	प्रोसेस दस्तावेज प्राप्त करने का प्रक्रिया	ई-नीलामी प्रक्रिया के विस्तृत नियम व शर्तें प्रोसेस दस्तावेज में दिये गये है जिसे बोलीदाता द्वारा कॉर्पोरेट देनदार की वेबसाइट http://www.petronengineering.com या ई-मेल liquidatorPECL@vkcindia.com पर अनुरोध भेजकर प्राप्त किया जा सकता है
11.	ईओआई एवं बोली जमा करने की प्रक्रिया	ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से बोली लगाई जाएगी। ई-नीलामी आयोजन की प्रक्रिया कॉर्पोरेट देनदार की वेबसाइट पर अपलोड किये गये प्रोसेस दस्तावेज में दी गई है या इसे ई-मेल liquidatorPECL@vkcindia.com पर अनुरोध भेजकर प्राप्त किया जा सकता है
12.	बिक्री की प्रक्रिया	बिक्री की प्रक्रिया ई-नीलामी है जहां बोलीदाता खुली विन्डो पर सबसे ऊंची बोली को देख सकते हैं
13.	समय-सीमा एवं ईएमडी सहित योग्यता मापदंड एवं अन्य विवरण	कॉर्पोरेट देनदार की वेबसाइट पर अपलोड किये गये प्रोसेस दस्तावेज में दिये गये है या इसे ई-मेल liquidatorPECL@vkcindia.com पर अनुरोध भेजकर प्राप्त किया जा सकता है
14.	आरक्षित मूल्य एवं बोली बढ़ोत्तरी राशि	आईएनआर 149.61 करोड़ बोली बढ़ोत्तरी राशि रु. 1.50 करोड़ के गुणांक में होगी

इसमें निहित कुछ भी चलायमान व्यवसाय के आधार पर, समग्र रूप से कॉर्पोरेट देनदार के अधिग्रहण के लिए एक बाध्यकारी प्रस्ताव या प्रतिबद्धता निर्मित नहीं करेगा।

चालू व्यवसाय के आधार पर, समग्र रूप से कॉर्पोरेट देनदार का अधिग्रहण, *'जैसा है जहां है', 'जो है जैसा है', जो है जैसे है'* और *'बिना किसी आश्रय के'* आधार पर कॉर्पोरेट देनदार या परिसमापक द्वारा बिना किसी प्रतिनिधित्व, वारंटी या क्षतिपूर्ति के होगा। ई-नीलामी भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाएगी। संभावित बोलीदाता को यह ध्यान देना अपेक्षित है कि चलायमान व्यवसाय के आधार पर, समग्र रूप से कॉर्पोरेट देनदार का अधिग्रहण, परिसमापक के पूर्ण विवेक पर, संभावित बोलीदाता की साख की समीक्षा के आधार पर और प्रक्रिया दस्तावेज, इस सार्वजनिक घोषणा, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 ('कोड'), उसके तहत प्रासंगिक विनियमों में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार होगा। परिसमापक के पास बिना कोई कारण बताए या कोई दायित्व या लागत ग्रहण किए बिना किसी भी समय सीमा या प्रक्रिया सहित इस आमंत्रण को संशोधित और/या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। उक्त समयसीमा सहित आमंत्रण में ऐसा कोई भी संशोधन, कॉर्पोरेट देनदार की वेबसाइट http://www.petronengineering.com. पर अधिसूचित किया जाएगा।

अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण के लिए आप परिसमापक से फोन नं. 011-49121644-45 पर या उनके टीम सदस्य, सीएस लवकेश बत्रा से फोन नं. + 91 83989-94547 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते पेट्रॉन इंजिनियरिंग कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
सीएस विनीत के चौधरी
परिसमापक
पेट्रॉन इंजिनियरिंग कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मामले में
आईबीबीआई पंजीकरण सं. IBBI/IPA-002/IP-N00103/2017-18/10246
liquidatorPECL@vkcindia.com (प्रक्रिया विनिर्दिष्ट)
ip.vineetchaudhary@gmail.com (आईबीबीआई के साथ पंजीकृत)
आईबीबीआई के साथ पंजीकृत परिसमापक का पताः
डी-38, एलजीएफ (एल/एस), साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-2, नई दिल्ली-110049

तिथि : 5 जुलाई, 2021
स्थान : नई दिल्ली

ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक उद्घोषणा
केएसएस पेट्रोन प्राइवेट लिमिटेड

(भारतीय दिवाला एवं संशोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 32 एवं 33 के अंतर्गत) एतद्द्वारा आम जनता को परिसमापन के अधीन केएसएस पेट्रोन प्राइवेट लिमिटेड ("कॉर्पोरेट देनदार") के परिसमापक द्वारा, चालू व्यवसाय के आधार पर, कॉर्पोरेट देनदार के समग्र रूप से अधिग्रहण के लिए निम्न तालिका में वर्णित विवरण के अनुसार आयोजित ई-नीलामी प्रक्रिया के संबंध में इच्छुक बोलीदाताओं से बोलियां आमंत्रित करने के लिए व्यापक तौर पर सूचित किया जाता है। ई-नीलामी प्रक्रिया ऑनलाइन ई-नीलामी एजेंसी, ई-प्रोक्योरमेंट टैक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा वेबसाइट https://ncltauction.auctiontiger.net के माध्यम से शुक्रवार, 27.08.2021 को या परिसमापक द्वारा बोलीदाताओं को सूचित की जाने वाली किसी अन्य तारीख को संपन्न की जाएगी।

संगत विवरण

1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	**केएसएस पेट्रोन प्राइवेट लिमिटेड**
2.	कॉर्पोरेट देनदार के गठन की तिथि	19.07.2007
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट देनदार गठित/पंजीकृत है	कंपनी पंजीयक, मुम्बई (महाराष्ट्र)
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U45400MH2007PTC234297
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय का पता	स्वास्तिक चैम्बर्स, छठा तल, सियॉन ट्राम्बे रोड, चेम्बूर, मुम्बई-400071
6.	कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन प्रारंभ तिथि	27.12.2019
7.	परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता एवं पंजीकरण संख्या	सीएस विनीत के चौधरी IBBI/IPA-002/IP-N00103/2017-18/10246 प्रोसेस विनिर्दिष्ट ई-मेल आईडी :liquidatorkssspetron@vkcindia.com आईबीबीआई के साथ पंजीकृत ई-मेल आईडी : ip.vineetchaudhary@gmail.com डी-38, एलजीएफ (एल/एस), साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-2, नई दिल्ली-110049
8.	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	नीलामी प्रारंभ तिथि एवं समयः 27.08.2021 को प्रातः 11.00 बजे नीलामी समाप्त होने की तिथि एवं समयः 27.08.2021 को सायं 5.00 बजे
9.	नीलामी प्लेटफार्म विवरण	https://ncltauction.auctiontiger.net
10.	प्रोसेस दस्तावेज प्राप्त करने का प्रक्रिया	ई-नीलामी प्रक्रिया के विस्तृत नियम व शर्तें प्रोसेस दस्तावेज में दिये गये है जिसे बोलीदाता द्वारा कॉर्पोरेट देनदार की वेबसाइट http://www.ksspetron.in या ई-मेल liquidatorkssspetron@vkcindia.com पर अनुरोध भेजकर प्राप्त किया जा सकता है
11.	ईओआई एवं बोली जमा करने की प्रक्रिया	ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से बोली लगाई जाएगी। ई-नीलामी आयोजन की प्रक्रिया कॉर्पोरेट देनदार की वेबसाइट पर अपलोड किये गये प्रोसेस दस्तावेज में दी गई है या इसे ई-मेल liquidatorkssspetron@vkcindia.com पर अनुरोध भेजकर प्राप्त किया जा सकता है
12.	बिक्री की प्रक्रिया	बिक्री की प्रक्रिया ई-नीलामी है जहां बोलीदाता खुली विन्डो पर सबसे ऊंची बोली को देख सकते हैं
13.	समय-सीमा एवं ईएमडी सहित योग्यता मापदंड एवं अन्य विवरण	कॉर्पोरेट देनदार की वेबसाइट पर अपलोड किये गये प्रोसेस दस्तावेज में दिये गये है या इसे ई-मेल liquidatorkssspetron@vkcindia.com पर अनुरोध भेजकर प्राप्त किया जा सकता है
14.	आरक्षित मूल्य एवं बोली बढ़ोत्तरी राशि	आईएनआर 119.06 करोड़ बोली बढ़ोत्तरी राशि रु. 1.50 करोड़ के गुणांक में होगी

इसमें निहित कुछ भी चलायमान व्यवसाय के आधार पर, समग्र रूप से कॉर्पोरेट देनदार के अधिग्रहण के लिए एक बाध्यकारी प्रस्ताव या प्रतिबद्धता निर्मित नहीं करेगा।

चालू व्यवसाय के आधार पर, समग्र रूप से कॉर्पोरेट देनदार का अधिग्रहण, *'जैसा है जहां है', 'जो है जैसा है', जो है जैसे है'* और *'बिना किसी आश्रय के'* आधार पर कॉर्पोरेट देनदार या परिसमापक द्वारा बिना किसी प्रतिनिधित्व, वारंटी या क्षतिपूर्ति के होगा। ई-नीलामी भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाएगी। संभावित बोलीदाता को यह ध्यान देना अपेक्षित है कि चलायमान व्यवसाय के आधार पर, समग्र रूप से कॉर्पोरेट देनदार का अधिग्रहण, परिसमापक के पूर्ण विवेक पर, संभावित बोलीदाता की साख की समीक्षा के आधार पर और प्रक्रिया दस्तावेज, इस सार्वजनिक घोषणा, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 ('कोड'), उसके तहत प्रासंगिक विनियमों में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार होगा। परिसमापक के पास बिना कोई कारण बताए या कोई दायित्व या लागत ग्रहण किए बिना किसी भी समय सीमा या प्रक्रिया सहित इस आमंत्रण को संशोधित और/या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। उक्त समयसीमा सहित आमंत्रण में ऐसा कोई भी संशोधन, कॉर्पोरेट देनदार की वेबसाइट http://www.ksspetron.in पर अधिसूचित किया जाएगा।

अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण के लिए आप परिसमापक से फोन नं. 011-49121644-45 पर या उनके टीम सदस्य, सीएस लवकेश बत्रा से फोन नं. + 91 83989-94547 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते केएसएस पेट्रोन प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
सीएस विनीत के चौधरी
परिसमापक
केएसएस पेट्रोन प्राइवेट लिमिटेड के मामले में
आईबीबीआई पंजीकरण सं. IBBI/IPA-002/IP-N00103/2017-18/10246
liquidatorkssspetron@vkcindia.com(प्रक्रिया विनिर्दिष्ट)
ip.vineetchaudhary@gmail.com(आईबीबीआई के साथ पंजीकृत)
आईबीबीआई के साथ पंजीकृत परिसमापक का पताः
डी-38, एलजीएफ (एल/एस), साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-2, नई दिल्ली-110049

तिथि : 5 जुलाई, 2021
स्थान : नई दिल्ली

www.readwhere.com